न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2019(रसद)
पंजीयन दिनांक 05.02.2019

राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

..................प्रार्थी

बनाम

1–श्री मिट्ठूलाल गाडरी गांव भण्डारिया, जिला चित्तौड़गढ़
2–श्री गोवर्धन लाल गाडरी गांव भण्डारिया, जिला चित्तौड़गढ़

.................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 सपठित पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1999 एवं केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के तहत जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय मोटर, कीप आदि को राजसात करने बाबत।

उपस्थितिः– 1–श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 03.09.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि IOCL के प्रतिनिधि श्री बी. एल. मीणा द्वारा गांव भण्डारिया के पास पेट्रोल, डीजल व केरोसीन का पाईप लाईन एवं टेंकरो से चोरी करके पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध भण्डारण किये जाने की शिकायत दर्ज करवाने पर दिनांक 23.01.2019 को जिला रसद अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में पुलिस उप अधीक्षक, (प्रशिक्षु) सदर थाना चित्तौड़गढ़, रसद विभाग, चित्तौड़गढ़ एवं IOCL के प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से टीम गठित कर ग्राम भण्डारिया के आस–पास सघन जांच की गई जांच के दौरान उदयपुर–कोटा हाईवे पर स्थित रंगोली होटल के पीछे बने हुए बाडे जो पूछताछ पर मालुम हुआ कि श्री मिट्ठूलाल एवं श्री गोवर्धन गाडरी का है। इस बाडे परिसर में पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण होना पाया गया। मौके पर बाडे के मालिक श्री मिट्ठूलाल एवं श्री गोवर्धन गाडरी को बुलवाया गया किन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। उक्त बाडे में पडे हुए ड्रमों की गणना की गई मौके पर 14 ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ का भरा होना पाया गया। मौके पर साक्ष्यों के समक्ष गेज से मांपा गया तो 14 ड्रमों में कुल 2105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया। इतनी मात्रा में भण्डारण, विक्रय हेतु संबंधित व्यक्तियों के पास आवश्यक दस्तावेज, क्रय दस्तावेज, लाईसेन्स आदि नहीं होना पाया गया। मौके पर आवश्यक दस्तावेज नहीं होने से 14 ड्रमों में भरे हुए 2105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को कब्जे में लेकर फर्द अभिग्रहण तैयार किया गया एवं जरिये फर्द नमूना तैयार कर ABCD चार नमूने लिये गये तथा नमूना B वास्ते जांच सदर थाना पुलिस को दिया। इस प्रकार श्री मिट्ठूलाल गाडरी एवं श्री गोवर्धन

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

प्रकरण संख्या 07/2019 (रसद)
राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री मिट्ठूलाल गाडरी गांव भण्डारिया वगैरा

लाल गाडरी का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1999 एवं केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश 1993 का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तशुदा 2105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं मोटर जिसके एक सिरे पर पाईप लगा व 3 लोहे के मापक कीप राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा पेट्रोल, डीजल व केरोसीन की पाईप लाईन एवं इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षीगण द्वारा अपने बाडे पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण किया हुआ पाया तथा उनके बाडे पर 14 ड्रमों में कुल 2105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय मोटर व अन्य सामग्री मौके पर पाया गया तथा उक्त स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ रखने, क्रय करने, व्यापार करने के संबंध में कोई दस्तावेज, अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा गांव भण्डारिया के पास पेट्रोल, डीजल व केरोसीन पाईप लाईन तथा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर उनका अवैध भण्डारण करना, खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 2105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम, मोटर एवं अन्य सामग्री राजसात किये जाने योग्य है।

अतः दिनांक 23.01.2019 को जब्तशुदा 2105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम, मोटर जिसके एक सिरे पर पाईप लगा एवं अन्य सामग्री को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 2105 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम एवं अन्य सामग्री को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official